

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में ।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/- रुपए प्रति हजार शब्द तय की गई थी । विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है ।


2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रु.300/- (रुपए तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है । यह दर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगी :-

- (i) रुपये 300/- प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी । यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे GFR-2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
- (ii) बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जायेगी ।

3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी ।

4. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा ।

5. इसे आंतरिक वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.सं.3423357/वित्त-2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)
फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि